इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. एफ—14—17—2007—बयालीस—1.— निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में,—

1. निम्नलिखित प्रारंभिक पैरा का लोप किया जाए, अर्थात्:—

"सेवारत अभ्यर्थी / चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोन्सट्रेटर / टयूटर / मेडिकल आफिसर अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन" का लोप किया जाये.

2. उप—नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) शासकीय एवं निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त विधाओं की डिग्री सीटों की रिक्तियों (Vacancies) पर अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थियों जिनके द्वारा ग्रामीण / दूरस्थ / कठिन (Rural/Remote/Difficult area) स्थानों में न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि की सेवा प्रदान की हो, के लिये 30 प्रतिशत सीटों का कोटा रहेगा.".

3. उप—नियम (7) को लोप किया जाए.

4. उप—नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(8) सभी प्रवेशित सेवारत चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी. बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रु. 50 लाख जमा करने होंगे.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. आर. धाकड, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.